भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
***
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †**2404**

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

एसआईआईबी और सीआईयू द्वारा जब्त किए गए कंटेनर

†2404. श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री संजय सदाशिवराज मांडलिक :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री बिद्युत बरण महतो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग की विशेष जांच और आसूचना शाखा (एसआईआईबी) तथा सीमा शुल्क आसूचना इकाई (सीआईयू) ने वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में उत्पादों की गलत-घोषणा किए जाने के कारण पत्तनों पर कंटेनरों को जब्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वित्तीय वर्षों के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा उत्पादों की गलत-घोषणा के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रभारित अतिरिक्त सीमा शुल्क/अर्थ दण्ड की कुल राशि कितनी है;

(ग) उक्त वित्तीय वर्षों के दौरान एसआईआईबी और सीआईयू द्वारा जब्त कंटेनरों पर भारतीय आयातकों द्वारा जहाजरानी कंपनियों को प्रतिधारण-शुल्क के रूप में भुगतान की गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या उक्त मामलों से संबंधित फाइलों को स्वीकृत करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षा से अधिक समय लिया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फाइल संचालन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क से ड.) : सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएंगी ।

*****